न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 46/2009

1 गंगा देवी पत्नी प्रभुदयाल।
2 श्री नारायण पुत्र प्रभुदयाल।
3 दामोदर (मृत)।
3/1 श्रीराम पुत्र दामोदर।
3/2 उर्मिला पुत्री दामोदर।
3/3 निर्मला पुत्री दामोदर।
3/4 दुर्गा पुत्री दामोदर।
3/5 श्रीमती भंवरी पत्नी दामोदर।
4 श्रीकिशन (मृत)।
4/1 श्रीमती गायत्री पत्नी श्रीकिशन।
4/2 मनीष पुत्र श्रीकिशन।
4/3 वासुदेव पुत्र श्रीकिशन।
4/4 नन्दकिशोर पुत्र श्रीकिशन।
5 द्रोपदी पुत्री प्रभुदयाल।
6 कली पुत्री प्रभुदयाल।
7 संतु देवी (मृत)।
7/1 बिमला देवी पुत्री महावीर प्रसाद समस्त जाति ब्राहमण निवासी खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 शम्भुदयाल पुत्र बृजमोहन।
2 पतासी बेवाह रामगोपाल (मृत)।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

2/1 बिमला पुत्री रामगोपाल।
2/2 हंसा पुत्री रामगोपाल।
2/3 पिंकी पुत्री रामगोपाल।
3 पूर्णमल (मृत)।
3/1 श्रीमती सरोज पत्नी पूर्णमल।
3/2 जितेन्द्र पुत्र पूर्णमल।
4 ओमप्रकाश पुत्र रामगोपाल।
5 जितेन्द्र कुमार पुत्र रामगोपाल।
6 रामचन्द्र पुत्र जगदीश।
7 रामस्वरूप पुत्र जगदीश।
8 दुर्गादत (मृत)।
8/1 जितेन्द्र पुत्र दुर्गादत।
9 बसन्ती बेवाह औंकारमल।
10 सुमित्रा देवी बेवाह गजेन्द्र समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
11 भवानीशंकर पुत्री गजेन्द्र।
12 मिनाषी पुत्री गजेन्द्र।
13 नीलम पुत्री गजेन्द्र।
14 संजु पुत्री गजेन्द्र।
15 विक्रम पुत्र औंकारमल
16 नौरंगलाल पुत्र औंकारमल नाबालिगान जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता सुमित्रा देवी बेवाह गजेन्द्र समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
17 उप पंजियक दांतारामगढ़ जिला सीकर।
18 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट विरूद्व निर्णय
व प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.05.2009 एस.डी.ओ.
दांतारामगढ़ दावा नम्बर 1026/2002 अनुवानी
शम्भू दयाल बनाम पतासी आदि

उपस्थिति :

1. श्री बजंरग सिंह शेखावत, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सागरमल धायल, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः— 15.03.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ द्वारा मुकदमा संख्या 1026/2002 मे पारित निर्णय दिनांक 28.05.2009 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ ने अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.05.2009 द्वारा ग्राम खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1894,1895,1897,1898,1899,1948 कुल किता 6 कुल रकबा 2.00 हैक्टेयर मे से रेस्पोडेंट संख्या 1 को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया है तथा रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 5 के हक में अंकित 1/2 हिस्सा व अपीलांट के हक में अंकित 1/2 हिस्सा की खातेदारी मे से 1/12 हिस्सा की खातेदारी हजफ किये जाने की आज्ञा पारित की है तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 को 1/6 हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा करने हेतु भू—अभिलेख निरीक्षक खाटूश्यामजी को तहसील दांतारामगढ़ को मौका कमिश्नर नियुक्त किया है तथा बंटवारा स्कीम तहसीलदार दांतारामगढ़ को

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

एक माह मे प्रस्तुत करने एवं कमिश्नर फीस 300/– रूपये तय किये है इस अवैध निर्णय व डिक्री के विरूद्व यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्राथमिक डिक्री में अपीलांट के हक में अंकित 1/2 हिस्से मे से 1/2 हिस्सा हजफ करना विधि विरूद्व है। रेस्पोडेंट का विवादित भूमियों से कोई सम्बंध नही है। विचारण न्यायालय में वादकरण स्पष्ट नही है। विचारण न्यायालय में गवाह शम्भुदयाल ने स्वीकार किया है कि किरण व गीता सगी बहने है। इनको विचारण न्यायालय में पक्षकार नही बनाया गया है। विचारण न्यायालय में वादी का वाद नोन जोइन्डर ऑफ पार्टीज के कारण खारिज योग्य है। गवाह रामेश्वर व भगवाना ने विवादित भूमि को नही जानने का कथन किया है। विचाराधीन निर्णय में आई.एल.आर. को मौका कमिश्नर नियुक्त किया है। विचारण न्यायालय में विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना नही की गई है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.डी0 2013 पेज 714 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि की खातेदारी सुरजमल, प्रभूदयाल, सीताराम की 1/3,1/3 थी। खसरा गिरदावरी जमाबंदी में रेस्पोडेंट का नाम है, कुऐ से सिचांई अंकित है। विचारण न्यायालय मे घोषणा का वाद वादी के दस्तावेजात से तनकीवार निर्णय कर डिक्री किया है। प्रतिवादी के गवाह श्री नारायण ने जिरह में वाद कथन को स्वीकार किया है। वादी के वाद का कोई खण्डन नही किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। प्रकरण का विचारण न्यायालय ने तनकीवार विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है विचारण न्यायालय की पत्रावली के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम खाटूश्यामजी की जमाबंदी संवत 2055–58 एक्जीविट 1 मे खसरा नम्बर 1894,1895,1897, 1898,1899,1848 कुल किता 6 कुल रकबा 2.00 हैक्टेयर मे प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 का 1/2 हिस्सा दर्ज है जबकि ग्राम खाटूश्यामजी की जमाबंदी एक्जीविट 2 खसरा नम्बर 1896 व 2648 में शिवम्भुदयाल पुत्र बृजमोहन हिस्सा 1/6 अंकित है। जमाबंदी संवत 2019–22 में खसरा नम्बर 1034 प 1036 में शिम्भुदयाल के पूर्वज सीताराम का 1/3 हिस्सा दर्ज है, जमाबंदी संवत 2009–27 एवं 2019–22 एक्जीविट 7 व 8 में सीताराम पुत्र लादुराम का खसरा नम्बर 341,1035,1887 कुल रकबा 31 बीघा 16 बिस्वा मे 1/3 हिस्सा दर्ज है, जमाबंदी संवत 2039–42 एक्जी 9 में खसरा नम्बर 341,1035 व 1887 मे वादी के पिता बृजमोहन व औंकार पिता सीताराम का हिस्सा 1/3 दर्ज है, खसरा गिरदावरी संवत 2009–19 व 2030–33 एक्जी 12 व 13 पेश की है जिसमे वादी एवं वादी के पिता का नाम खसरा नम्बर 1034,1035 व 1036 में दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल एक्जीविट 4 के अनुसार खसरा नम्बर 1036 से 1894,1896 मिन से 1895, 1055 से 1896,1034 से 1897, 1034 मिन से 1898,1036 मिन से 1899 नये नम्बर बने है। बयान गवाहान रामेश्वर पीडल्यू 2, भगवानाराम पीडब्ल्यू 3 ने अपने बयानों में वादी शिम्भूदयाल विवादित भूमि में एक बीघा 5 बिस्वा भूमि काश्त करना बताते है एवं प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत गवाह श्री नारायण पुत्र प्रभुदयाल डीडब्ल्यू 1 ने अपने बयानों में खसरा नम्बर 341,1887,1034,1035 व 1036 में सीताराम पुत्र लादुराम 1/3 हिस्सा माना है सीताराम के 2 लड़के बृजमोहन व औंकारमल एव बृजमोहन का लड़का शम्भुदयाल है। उपरोक्त दस्तावेजात खसरा गिरदावरी संवत 2009–19 व 2030–33 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी व वादी के पूर्वजो की विवादित भूमि पर कब्जा काश्त रही है एवं 1/6 हिस्से पर कब्जा काश्त साबित है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही हुई है उनके द्वारा किसी प्रकार का प्रतिवाद दर्ज नही करवाया है उनके हक में दर्ज 1/12 हिस्से व प्रतिवादीगण संख्या 5 के हक में दर्ज नहीं करवाया है उनके हक में दर्ज 1/12 हिस्से में दर्ज भूमि के सम्बंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नही करने से प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक में अंकित 1/12 हिस्से की खातेदारी एवं प्रतिवादी संख्या 5 के हक में अंकित 1/12 हिस्से की खातेदारी हजफ कराने में वादी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सफल रहा है। विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का तनकीवार विवेचन कर विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। इसमे हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 15.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर